AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेसनोट थाना एमएम गेट जनपद आगरा। 11.11.2021

थाना एमएम गेट पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी करते हुए चांदी में मिलावट करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार..

दिनांक 10.11.2021 को वादी अंकुर सिंघल द्वारा थाना एमएम गेट पर सूचना दी गयी कि वादी जेवरात का थोक एवं फुटकर व्यापारी है। दिनांक 22.09.2021 से 27.10.2021 तक कई बार अलग–अलग वजन की चांदी मैटेरियल से पायल बनाने के लिए सोनू, उसका दोस्त विष्णु, सोनू का भतीजा कुनाल मेरी फर्म से लेकर गया है। घर में सोनू, विष्णु तथा कुनाल मिलकर चाँदी का सामान तैयार कर हमको देते थे। उपरोक्त दिनांक से तीनों मेरे पास से कुल 219 किग्रा चाँदी मेरे पास से लेकर गये थे। मेरी चाँदी टी 55 की थी किन्तु तीनों द्वारा धोखाधड़ी करते हुए माल की क्वालिटी कम करते हुए मुझे दी गयी, जिसका टंच टी 25 से टी 55 तक है। इस तरह सोनू ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरी चाँदी मैटेरियल में पूरी तरह मिलावट करके कम टंच का पायल बना कर दिया है। इस सम्बन्ध में थाना एमएम गेट पर मु0अ0सं0 97/21 धारा 420/406 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सोनू इस समय थाना क्षेत्र में कहीं जाने की फिराक में खड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल बताये स्थान पर पहुंच एक बारगी दबिश देते हुए अभियुक्त सानू को गिरफ्तार कर लिया गया। अभि0 के कब्जे से 240 ग्राम सफेद धातु बरामद हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :–

01. सोनू पुत्र हरि बाबू निवासी 20/74 मोहल्ला सिखी की मन्डी कुँआ वाली बस्ती थाना लोहामण्डी आगरा।

बरामदगी का विवरण :–

01. 240 ग्राम सफेद धातु।

आपराधिक इतिहास का विवरण :–

01. मु0अ0सं0 97/21 धारा 420/406 भादवि थाना एमएम गेट जनपद आगरा।

पुलिस टीम का विवरण :–

01. प्रभारी निरीक्षक श्री अवधेश कुमार अवस्थी मय टीम थाना एमएम गेट जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।